21.7.93

नगर परिषद (सिटी-बोर्ड) जौनपुर की दिनांक 28.6.93 की स्थगित बैठक, जो 21.7.93 को दिन बुधवार को अपरान्ह 5.00 बजे सम्पन्न हुयी, में सम्मिलित मान्यवरों के नाम व कार्यकारी निम्नवत् हैं।

1	श्री	सीताराम यादव	अध्यक्ष
1A	श्री	राम अधार यादव	मान्य समासद
2	"	लक्ष्मीनारायण यादव	प्रतिनिधि सांसद
3	"	बाबूलाल गुप्त	मान्य समासद
4	"	डा० सुनील श्रीवास्तव	" "
5	"	मिठाई लाल	" "
6	"	हाजी मो० सलीम	" "
7	"	गणेश लाल रावत	" "
8	"	अनवर जा उर्फ भइया जी	" "
9	"	शोभनाथ आर्य	" "
10	"	दयाशंकर	" "
11	"	डा० कृष्ण कुमार	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
12	"	रविन्द्र प्रताप सिंह	मान्य समासद
13	"	राजेन्द्र प्रताप सिंह	" "
14	"	विद्यासागर सोनकर	" "
15	"	शिवकुमार गुप्त	" "
16	"	नजीर अहमद	" "
17	"	वीरेन्द्र प्रताप यादव	" "
18	श्रीमती	पुष्पा श्रीवास्तव	नामित सदस्या
19	श्रीमती	विमला सिंह	" "

(हस्ताक्षर)
(सत्यप्रकाश प्रदीप)
अधिशासी अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
21.7.93

(हस्ताक्षर)
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष
सिटी-बोर्ड जौनपुर
21.7.93

सामान्य प्रस्ताव

निर्णय

प्रस्ताव
पिछली बैठक की कार्यवाही वास्ते पुष्टि

दिनांक 26-4-93 पिछली कार्यवाही परिषद लिपिक द्वारा सदन में पढ़ी गयी, प्रमाणित किये जाते समय डा० श्री कृष्ण कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ने [illegible] में पाकड़ का पेड़ काटने के बारे में ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि अध्यक्ष जी कृपया बताने का कष्ट करें कि क्या उक्त पेड़ कट गया, इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री उदय-शंकर पाण्डेय, अवर अभियन्ता ने बताया कि पेड़ काटने की कार्यवाही चल रही है, जल्द ही उक्त पेड़ कट जायेगा। पुनः डा० श्री कृष्ण कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि क्या श्री शीघ यादव, राजस्व निरीक्षक, के खिलाफ धन उगाही के बारे में कोई जाँच कराई गयी है, इस पर अध्यक्ष की अनुमति से अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि मेरे द्वारा इस प्रकरण में जाँच की जा रही है आगे पुनः डा० श्री कृष्ण कुमार वरिष्ठ के उपाध्यक्ष ने कहा कि पिछली बैठक में मैंने यह प्रश्न उठाया था कि अब तक जो यह किये गये हैं, उसकी जानकारी सदन को दी जाय, ऐसी चर्चाओं को क्यों छोड़ दिया जाता है? मुझे जहाँ तक याद है कि

21.7.9

प्रस्ताव	निर्णय
	मैने इस प्रकरण को सदन में चर्चा के दौरान उठाया था, जिसे इसमें नहीं लिखा गया है, इसे भी कार्यवाही पुस्तिका में लिखा जाय।
	महिला हीलिंग सेन्टर, मिर्जापुर में जाँच की जानकारी सदन को दिये जाने की बात उठायी गयी, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने जाँच करके अवगत कराने को कहा।
	श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि अध्यक्षा/सचिव महोदय कृपया बताने का कष्ट करें कि जो पंच वर्षों का निर्धारण हो रहा है, उसकी जानकारी कितने सभासदों को दी गयी है? इस पर अधिशासी अधिकारी ने बताया कि चाचकपुर एवं मिर्जापुर नगर के सर्वे का कार्य चल रहा है, सर्वे का कार्य पूरा हो जाने पर करदाताओं को नोटिस भेजी जायेगी, उसके पश्चात प्राप्त आपत्तियों पर निस्तारण की कार्यवाही होगी, उस समय कृपया मान्य सभासदों की उपस्थिति में निस्तारण की कार्यवाही की जायगी। इस पर श्री विद्यासागर सोनकर

निर्णय:-

प्रस्ताव

माननीय सभासद ने कहा कि गरीब लोगों को निचोड़ लिया जायेगा, तो बाद में यह प्रक्रिया सभासद के सिर पर आयेगी तो उनकी क्या स्थिति होगी, यहाँ मनमानी हो रही है, आपके समय में आतंक कर्मचारियों में बढ़ गया है, लूटपाट की मनमानी है, इस पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह कहने का औचित्य नहीं है, हाँ इतना अवश्य है कि जिस क्षेत्र में कर निर्धारण होता है, उस क्षेत्र के सभासद को सूचना दे दी जायेगी।

आगे श्री बाबूलाल गुप्त, माननीय सभासद ने कहा कि यहाँ तक मकान दो तल्ला पक्के का बना है और उसका कर निर्धारण वार्षिक भटकीय मूल्य 900/- नौ सौ रुपये है और यदि उस पर एक तल्ला या एक कमरा और बन जाय तो उसका वार्षिक भटकीय मूल्य कितना होगा, 15,000/- पन्द्रह हजार तो नहीं हो पायेगा, उसी समय श्री शिवकुमार गुप्त, सभासद ने कहा कि एक मामला मेरे वार्ड का है, जिसका मकान छोटा है, उसका वार्षिक भटकीय मूल्य 30,000/- तीस हजार रुपये कर दिया गया है,

21.7.93

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
	जबकि उसी के बगल में राजकमल सिनेमा एवं कोल्ड स्टोरेज है, जिसका वार्षिक सटकीय मूल्य मात्र 6,000/- छः हजार रुपये है, ऐसी दशा में यह स्पष्ट है कि जनता के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, इस पर अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा कि यदि ऐसी कोई बात है तो उसकी लिखित शिकायत कर दी जाय ताकि उसको देखा जा सके और उस पर विचार कर जो उचित हो उसे किया जा सके, इस पर सदन की सहमति पायी गयी। आगे श्री मताप आर्य माननीय सभासद ने कहा कि अध्यक्ष जी कृपया यह बतायें जो भी शिकायतें हम सभासदों ने पूर्व में किसी कर्मचारी अधिकारी के विरुद्ध किया है, तो उसके विरुद्ध आपने क्या किया? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है, आप लिखित शिकायत दें, कार्यवाही की जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

21.7.93

प्रस्ताव

निर्णय —

चर्चा को आगे बढ़ाते हुये श्री विधायक सागर सोनकर ने कहा कि सब्जी मंडी में तहबाजारी की फीस की दर जो बढ़ी है, उसे कम किया जाय, क्योंकि जो किसान एक खाँची पालक की साग लेकर जाता है उसका पालक 2/- दो रुपये का बिकता है तो वह किस परिस्थिति में 1/- एक रुपया तहबाजारी फीस दे देगा, तो किसान मर जायेगा जो फीस की दर बढ़ाया गया है वह हमें मान्य नहीं है, इसे कम किया जाय, इस पर अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा यह बढ़ोत्तरी तहबाजारी फीस का पहले प्रस्तावित हुआ, जिसे वित्त समिति द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात उसे बोर्ड की बैठक में रखकर आप लोगों की सहमति से अनुमोदित किया गया था, इस पर भी विधायक सागर सोनकर, मान्य सभासद द्वारा विरोध प्रकट किया गया तथा कई अन्य सभासद विरोध प्रगट किया गया तहबाजारी फीस को घटाने पर सर्वाधिक सदस्यों द्वारा समर्थन पाये जाने पर यह ~~सहमति~~ निर्णय लिया गया कि केवल किसानों द्वारा खाँची में जो सब्जी लायी जाती है, उस खाँची पर मात्र =50 (पचास पैसे) ही तहबाजारी प्रति खाँची ली जायेगी।

21.7.93

प्रस्ताव :—	निर्णय :—
	तब प्रश्न यह उठा कि यह कब से लागू किया जायेगा तब अधिशासी-अधिकारी महोदय ने कहा कि यह तो अगस्त से 93 से लागू किया जायेगा, तब पुनः श्री नियासागर जोनकर मान्य सभासद ने कहा कि इसे कल यानी 22.7.93 से लागू कर दिया जाय तब यह निर्णय लिया गया कि इसे 23.7.93 "नागपंचमी" के दिन से लागू किया जाय, जिस पर सदन की सहमति पायी गयी।
	आगे श्री सुनील अग्रवाल, मान्य सभासद ने कहा जो प्रस्ताव बोर्ड द्वारा पारित कर दिया जाता है, उसे मण्डलायुक्त महोदय से अनुमोदन किये जाने के पश्चात ही तो लागू किया जायेगा, इस पर अधिशासी-अधिकारी महोदय ने बताया कि जो नामान्तरण शुल्क जो पहले रु दो 2/- था और उसे बढ़ाकर 20/- कर दिया गया, उसे मंडलायुक्त महो० की सेवा में अनुमोदन हेतु भेजने की जरूरत नहीं है, यदि उसे बोर्ड ने पारित कर दिया है तो बाईलाज के तहत २८ संशोधन

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्ताव

निर्णय

लागू करने में मण्डलायुक्त महोदय के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, उसे बोर्ड की स्वीकृति से लागू कर दिया गया है।

आगे श्री गणेशराम लालावत मान्य सभासद ने कहा कि सब्जी मंडी में जो लोग आढ़त की दुकान किये हुये थे, वह अब, मंडी शीतला चौकिया के रास्ते में स्थानान्तरित होने के कारण, खुलती नहीं, मात्र थोड़ी सी सब्जी आती है जो बोर्ड की तहबजारी की आय अब बहुत कम होती है, अतएव मेरा सुझाव है कि उसमें एक फ्रूट मार्केट बनवा दिया जाय, इस पर श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि मेरा यह सुझाव है कि जो ~~[illegible]~~ टट्टर लगे हैं, उसे हटवा दिया जाय, और उसके स्थान पर मार्केट बनवा दिया जाय, जिससे बोर्ड की अच्छी आय होगी।

आगे श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा पेयजल के बारे में चर्चा की बात यह है कि अभी मैंने बेगमगंज में पानी न मिलने पर चक्का जाम किया था, उस समय यह आश्वासन दिया गया था कि पेयजलापूर्ति में सुधार होगा लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ

21.7.93

प्रस्ताव	निर्णय
	आजमगढ़ की अहियाना मियाँना, में पानी नहीं मिल पा रहा है, इस पर अध्यक्ष महोदय की अनुमति से श्री केदारनाथ यादव, अवर अभियन्ता (जल) एवं जलकल अभियन्ता ने बताया कि उस समय काफी प्रयास करके, जो बेगमगंज रोड पर पानी नहीं मिलता था, वहाँ अब बेगमगंज मेन रोड पर पानी मिलने लगा है, इस पर श्री विद्यासागर सोनकर माननीय सभासद ने कहा कि नहीं, पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिसे देखा जा सकता है, इस पर श्री केदारनाथ यादव, अवर अभियन्ता (जल) ने कहा कि आप कल ही चलें मौके पर पेयजल मिल रहा है दिखा सकता हूँ, आगे श्री विद्यासागर सोनकर ने कहा कि बहुत से मुहल्ले नगर में ऐसे हैं, जहाँ पानी की आपूर्ति हेतु लाइन बिछाई नहीं गयी है और न ही हैण्ड पम्प वहाँ लगवाये गये हैं जैसे सदरपुर, उमरावाँ, बगीचा उमरावाँ, सिंगोपुर, गदन अजीतो, मोहल्ला गाजीयां, नंदगंज (हुसैनाबाद) है।

21-7-93

प्रस्ताव

निर्णय:-

आगे श्री विश्वनाथ सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि जिन स्थल जहाँ पेयजलापूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर तत्काल हैण्ड पम्प लगवा दिये जांय। श्री विश्वनाथ ने कहा कि चुंगी नाकाओं की बिक्री की प्राप्त धनराशि से जैसे है तो खरीदा जा सकता है, पंडित दीनदयाल शोध मनोरंजन गृह की मरम्मत हो सकती है, तो उसी चुंगी नाका के बिक्री से प्राप्त धनराशि से मुहल्लों में पानी की आपूर्ति हेतु पाइप लाइन डाली जाय, इस पर अधिशासी अधिकारी महोदय ने बताया कि चुंगी नीलामी से प्राप्त धनराशि बैंक में सुरक्षित है, उसके व्यय की स्वीकृति अभी तक शासन से प्राप्त नहीं हुयी है, ऐसी दशा में उसे हम बिना शासन की स्वीकृति प्राप्त किये, उसे व्यय नहीं कर सकते।

आगे श्री सोमनाथ आर्य मान्य सभासद ने कहा कि चुंगी नाकाओं पर, किस प्रकार से कब्जा हो गया है जैसे लाइनपार चुंगी नाका में पी०सी०ओ० खुल गया है, इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि उन्हें वैधानिक कब्जा नहीं दिया गया है, इस पर अन्य सभासदों

21.7.93

प्रस्ताव	निर्णय :-
	ने आपत्ति उठायी कि मैं उर लाइनबाजार चुंगी नाका में पीएसी छावनी खुल गया इस पर अधिशासी अधिकारी महोदय ने ~~बताया~~ कहा कि सम्बन्धित ठेकेदार जोकि को पहले बोर्ड से अनुमति लेनी चाहिये थी, हां इतना जरूर है कि उक्त चुंगी नाका की नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि सिटी बोर्ड नगरपालिका को प्राप्त हो चुकी है, इस पर डा० कृष्ण कुमार श्रीवास्तव ने पूछा कि क्या किसी ठेकेदार को कब्जा दिया गया है? यदि उस व्यक्ति ने बिना अनुमति प्राप्त किए हुए कब्जा कर लिया तो उसके विरुद्ध क्या कोई नोटिस आदि दे कर क्या कोई कानूनी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं की गयी तो उसके कानूनी कार्यवाही की जाय।
	आगे डा० श्री कृष्ण कुमार, वार्ष्णेय उपाध्यक्ष महोदय ने कहा जो रजिस्टर पहले का मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसमें किसी पद का जिक्र नहीं है केवल दुकानों को किराये पर दिए जाने वाला रजिस्टर दिखलाया गया है।

प्रस्ताव

निर्णय :-

इसी प्रस्ताव के क्रम में इन्होंने प्रश्न किया कि जहाँ पर पुराना पोस्ट आफिस था, उसके बगल में जहाँ चाट का ठेला लगता है वहाँ पर श्री विरेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति को लाटरी के नाम पर कोई पट्टा किया गया है, जो एक सार्वजनिक भूमि व रास्ता है, इस पर अधिशासी अधिकारी / अध्यक्षा महोदय की अनुमति से राजस्व प्रभारी श्री श्री [illegible] यादव ने बताया कि नहीं वहाँ पर कोई पट्टा नहीं किया गया है, हाँ इतना जरूर है कि लाटरी स्टाल वालों को शासनादेश के अनुपालन में भूमि दी गयी है, जिसमें दो लिस्ट पूर्व में बनी है, जिसमें एक लिस्ट में 18 व्यक्ति को दूसरी लिस्ट में 13 व्यक्ति को दिया गया है, जिसमें श्री विरेन्द्र कुमार नामक व्यक्ति का भी नाम है। इस पर डा० श्री कृष्ण कुमार वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा, ठीक है उक्त चाट वाले के स्थान पर आज की तिथि 21.7.93 को 7.15 बजे अपरान्ह / रात्रि तक श्री वीरेन्द्र कुमार चाटवाले या उनके परिवार के नाम से भूमि का आवंटन नहीं किया गया है, इस बात को कार्यवाही रजिस्टर में नोट किया जाय, मैं अगली बैठक में इसे अवश्य

Scanned with OKEN Scanner

21.7.23

प्रस्ताव :-	निर्णय :-
	देखूँगा। इसके अतिरिक्त नजूल भूमि पर कोई आवंटन नहीं हुआ है। श्री विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि जिस तरह पं० दीनदयाल उपाध्याय, मनोरंजन एवं क्रीडा गृह की मरम्मत हेतु प्रस्ताव लाया गया है, उसी प्रकार, इसी मद से पाइप लाइन बिछाने के लिए लिखा जाय, तभी से पास किया जायेगा, इस पर अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी महोदय ने कहा कि इसका प्रस्ताव अलग से दिया जाय, तो बोर्ड में प्रस्ताव के रूप में अवश्य लाया जायेगा। आगे श्री बाबूलाल जी मान्य सभासद ने कहा कि मैंने एक मकान बनवाया है, उसमें ताला बन्द रहता है, उसमें भी पानी का चार्ज अधिक आया है, ऐसा क्यों? अध्यक्ष महो० ने कहा कि ठीक है उसे लिखित दें, देख लिया जायेगा। आगे श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, मान्य सभासद ने कहा कि मेरे वार्ड में

प्रस्ताव

निर्णय :

जो मिस्त्रूराम, सफाई कर्मचारी हैं, वार्ड नियमित सफाई नहीं कराते, उनको वहाँ से स्थानान्तरित कर दिया जाय, इस पर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि सफाई को ध्यान में रखते हुए सभी नालियों को एक कर दिया गया है, जिससे नाले की सफाई का कार्य सब एक साथ लगकर करायेंगे, जिससे नाले / नालों की बिलकुल सफाई हो जाया करेगी।

आगे श्री विद्या सागर सोनकर, माननीय सभासद, ने कहा कि मोहल्ला बेगमगंज में समुचित सफाई न होने के कारण वहाँ पर 7 व्यक्तियों की मृत्यु कालरा से हुयी है लेकिन कोई भी सफाई निरीक्षक वहाँ देखने नहीं गया, ऐसा लगता है कि सफाई निरीक्षक, कभी अपने कार्य क्षेत्र में जाते ही नहीं। आगे उन्होंने यह भी कहा कि मैंने फुलवारीपुर में लाइट प्वाइन्ट जो बहुत दिनों से खराब है, जिसे ठीक कराने हेतु प्रकाश विभाग से बार-बार कहने पर भी वहाँ उसे ठीक करने कोई नहीं गया और न ही राड लगवाया गया, इस पर प्रकाश प्रभारी ने बताया कि वहाँ पर राड लगवा दिया गया है जो जल भी रहा है, इस पर श्री.

21.7.93

प्रस्ताव :	निर्णय :
	विद्यासागर सोनकर, मान्य सभासद ने कहा कि वहाँ लाइट नहीं जल रहा है, इस पर यह तय पाया गया कि चलकर निरीक्षण कर लिया जाय, यदि नहीं जल रहा है, तो इसे ठीक करा दिया जाय। आगे श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि इन्दिरा मार्केट में पेट्रोल पम्प के पास, सड़क पर पानी एकत्र हो जाता है, जिससे नागरिकों को आवागमन में परेशानी होती है उस मार्ग पर किनारे किनारे नाली बनवाई जाय, इसी प्रकार कोतवाली चौराहे पर किदवई पार्क पर पानी एकत्र होता है वहाँ पर पानी निकास की व्यवस्था करायी जाय, इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इन स्थानों पर नाली की व्यवस्था हेतु निर्माण कार्य की सूची में इसे सम्मिलित कर लिया गया है। अन्य कई सभासद एक साथ बोले कि सिरो-वार्ड जोगिया में ट्रैक्टर की कमी है। इस पर कोगणेश नाथ सिंह, मान्य सभासद ने कहा कि एक दिन

प्रस्ताव :

निर्णय :-

में एक ट्रैक्टर चार ट्रिप करता है जबकि वार्ड में अधिक कूड़े निकलते हैं, तो उसके उठवाने की कोई अतिरिक्त व्यवस्था की जाय। इस पर अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि ट्रैक्टर किराये पर लिये जा सकते हैं, किन्तु उस पर कूड़ा उठाने के लिये दैनिक मजदूरी पर व्यवस्था की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके लिए शासन द्वारा प्रतिबंध लगा हुआ है, इस पर श्री गणेशनाथ रावत, मान्य सभासद ने कहा क्या उसे ठेके पर दिया जा सकता है? इस पर अधिशासी अधिकारी ने कहा कि इसे ठेके पर दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

आगे डा० श्री कृष्ण कुमार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ने कहा कि मैं कई बार कह चुका हूँ कि ऐसे लोग सिटी बोर्ड में हैं जो कई वर्षों से एक ही कुर्सी पर चिपके हुए हैं, उन्हें स्थानान्तरित कर दिया जाय, इस पर अध्यक्ष ने कहा कि ठीक है, सूची बना ली जायेगी, तदनुसार कार्यवाही की जायेगी।

आगे डा० सुनील श्रीवास्तव मान्य सभासद ने कहा कि कर निर्धारण का क्या कोई समय निर्धारित है? या बाइलाज एक्ट में कोई क्राइटेरिया

21.7.93

प्रस्ताव –

निर्णय –

है कि एक वार्ड में
कितना समय लग सकता
है, इस पर अधिशासी
अधिकारी ने बताया कि
इस कार्य हेतु कोई
अलग से स्टाफ नहीं
रखा गया है, इसलिए
कुछ वसूली स्टाफ को
लगाकर कार्य किया जा
रहा है। डा० सुनील श्रीवास्तव
माननीय सभासद ने पूछा
कि क्या आपका कोई
ऐसा प्रयास है कि यह
कार्य कब तक पूरा हो
जायेगा। इस पर अधि०
अधिकारी महोदय ने कहा
कि निदेशक, स्थानीय
निकाय, उ०प्र० लखनऊ
का निरीक्षण था, इस-
लिए कम से कम एक
वार्ड का पूरा होना था
जो चल भी रहा था,
~~[illegible]~~ जो गत अप्रैल
93 में पूरा हुआ क्योंकि
मार्च 93 में वसूली को
भी देखना था, आ० डा०
सुनील श्रीवास्तव ने कहा
कि जितनी जल्दी हो
सके, पंचवर्षीय कर
निर्धारण का कार्य
पूरा कर लिया जाय।

प्रस्ताव

21.7.93

निर्णय

आगे श्री गणेशलाल रावत, माननीय
सभासद ने कहा कि सफाई
कार्य को यदि ठेके पर दे
दिया जाय अथवा ठेके पर
ई-कन्ट्रोल से लिया जाय, तो सफाई
अच्छी होगी। अधिशासी अधिकारी
महोदय ने स्थिति स्पष्ट किया
कि ई-कन्ट्रोल पर कार्य करते हुए
दैनिक मजदूरी पर स्वच्छकार
रखना होगा, जो शासनादेशानुसार
प्रतिबन्धित है। श्री विद्यासागर
सोनकर, माननीय सभासद ने कहा
कि चितरसारी की एक
पुलिया बनाई गयी है जो
अभी हाल ही में निर्मित हुयी
है, वह काफी ऊंची बना
दी गयी है, जिससे पानी
सड़क पर पुलिया के पास रुकता
है, जिसके कारण आवागमन
बाधित है, इसको देखवा
लिया जाय, और ठीक कराया
जाय, इसे देखने के लिए
23.7.93 को अधिशासी अधिकारी/
अध्यक्ष ने चलने को कहा।
आगे श्री अतहर उर्फ
मइय्या जी, माननीय सभासद ने
कहा कि माननीय अध्यक्ष
जी मैं इस बारे में एक
बात कहना चाहता हूँ कि
जो व्यवस्था है, वह ठीक
नहीं है, जब बोर्ड की

21.7.93

	प्रस्ताव	निर्णय
		पिछली कार्यवाही रजिस्टर के अनुसार ही उसका उत्तर होना चाहिये व्याख्या होना नहीं है। उपरोक्त संशोधन के साथ पिछली कार्यवाही की पुष्टि की गयी।
2.	प्रस्ताव बाबत नगर में विभिन्न मार्गों की तहबाजारी की वसूली के लिये पूर्व से तैनात 3 दैनिक मजदूरी पर लगाये गये तहबाजारी मोहर्रिर की सेवायें 1.6.93 से 31.7.93 तक 30/- प्रति दिन प्रति मोहर्रिर की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। श्री गणेशताबावत माननीय सभासद ने कहा कि जो तहबाजारी मोहर्रिर गत 22 वर्षों से सेवा कर रहे हैं, उनका पद सृजन नहीं आया है इस पर क्या कार्यवाही हो रही है? इस पर अधिशासी अधिकारी महोदय ने बताया कि पद सृजन का प्रस्ताव, शासन में सचिव महोदय के यहाँ पहुँच चुका है लेकिन अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।
3	पालिका प्रकाश विभाग में नगर क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिये कार्यरत तीन दैनिक मजदूरी पर मिस्त्री की सेवायें, 30/- प्रति दिन प्रति मिस्त्री की दर से 1-6-93 से 31.7.93	स्वीकार।

प्रस्ताव
तक समयावधि बढ़ाये जाने
सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद
अनुमोदन हेतु।

4. पालिका सफाई विभाग द्वारा — स्वीकार।
सफाई कार्य के निमित्त
हेतु 11.10-89 के पूर्व से कार्यरत
एवं उक्त तिथि को जिनकी
सेवायें उनकी पूरी न रही हों,
तथा प्रत्येक वर्ष कम से कम
240 दिन कार्य करने की शर्तें
पूरी न करते हों, परन्तु
11.10-89 को कार्यरत रहे हों,
को शासनादेश संख्या 171/8-1-
92 दिनांक 8.1.92 के निर्देशानुसार
सेवा से न निकाला जाय,
सम्बन्धी विभागीय निर्देश
के तहत नगर में सफाई
जैसी आवश्यक सेवा को
दृष्टिगत रखते हुये 27
स्वच्छकारों की सेवायें,
25/- दैनिक मजदूरी पर
स्वीकार किये जाने हेतु
दिनांक 1.6.93 से 31.7.93 तक
समयावधि बढ़ाये जाने
सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद
समक्ष स्वीकृति हेतु।

21.7.93

	प्रस्ताव	निर्णय
5.	पालिका सफाई विभाग में सफाई कार्य निरन्तरता हेतु दिनांक 11.10.89 के पूर्व से कार्यरत 8 स्वच्छकार की सेवायें, 1.6.93 से 31.7.93 तक 25/- प्रति दिन प्रति बेलदार की दर से समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद स्वीकृति हेतु।	स्वीकार।
6.	पालिका जलकल विभाग में पेयजलापूर्ति व्यवस्था के लिये, नलकूपों के संचालन हेतु 12 पम्प अटेन्डेन्ट की सेवायें 30/- प्रति पम्प अटेन्डेन्ट, की दर से दैनिक मजदूरी पर 1.6.93 से 31.7.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
7.	पालिका जलकल विभाग की पाइप लाइनों के अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्य हेतु ५ बेलदारों की सेवायें 25/- प्रति दिन प्रति बेलदार की दर से 1.6.93 से 31.7.93 तक समयावधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।

Scanned with OKEN Scanner

	प्रस्ताव	निर्णय
8	पत्रांक बाबत टैक्सी स्टैण्ड तहबाजारी की नीलामी, जो पालिका कार्यालय पर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी थी, और अनुबन्ध पत्र के अनुसार उच्चतम बोलीदाता द्वारा 50% धन नीलामी के तुरन्त बाद जमा करना था, शेष धनराशि किश्तों के पश्चात जमा होता था, परन्तु बदलापुर रोड व मिर्जापुर रोड तथा मछली शहर इलाहाबाद रोड की धनराशि ठेकेदार द्वारा बार-बार नोटिस के बावजूद अभी तक धन नहीं जमा किया गया, सम्बन्धी प्रकरण, परिषद के समक्ष उचित निर्णयार्थ प्रेषित।	एक माह की नोटिस दी जाय कि धन जमा कर दें, यदि धन जमा नहीं होता है तो नीलामी पुनः कराई जाय।
9	सब्जी मंडी श्री चम्पालाल पानवाले की गली से अटाला मस्जिद से मुहल्ले को जाने वाली सड़क को निकलने वाली गली - सम्पर्क मार्ग का नामकरण "हसनैन खां मार्ग" रखने से सम्बन्धित प्रस्ताव, जिसके प्रस्तावक सर्वश्री दयाशंकर, दुलालाल जिपात, डुबेन तथा समर्थक श्री मुख्तार।	स्वीकार। श्री चम्पालाल पान वाले की दुकान से मस्जिद की आखिरी कोने तक गली का नामकरण "हसनैन खां मार्ग" रखा जाना सर्वसम्मति से हसनैन खां मार्ग रखने से स्वीकार।

21.7.93

	प्रस्ताव :	निर्णय :
	आहरण आदि सम्पादित है, परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु।	
10.	पत्रादि बाबत रोटरी क्लब जौनपुर के अध्यक्ष डा० कैप्टन जे०सी० शर्मा, का आवेदन-पत्र, कि जलकल परिसर स्थित नवनिर्मित दुकानों के ऊपरी तल पर पांच दुकानों की सतह पर उनके व्ययभार से बनवाये जाने वाले हाल तथा उससे पालिका को 300/- प्रति माह किराया मिलने सम्बन्धी प्रस्ताव, जो बोर्ड हित में है, उपर्युक्त संकल्प-प्रस्ताव दिनांक 22-6-93 परिषद अनुमोदन हेतु।	डा० सुनील श्रीवास्तव एवं श्री श्री माताप्रसाद आर्य, माननीय सभापति ने कहा कि वे इससे सहमत नहीं हैं, परन्तु श्री विद्यासागर सोनकर, ने कहा कि रोटरी जैसी सामाजिक संस्था से कोई शिकायत नहीं है। जहाँ तक पीछे मिलने का थ्री फिट जगह होगी, इस पर अधिशासी-अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो भी शर्त होगी उसी के अनुसार दिया जायेगा।
11.	जलकल परिसर में निर्मित दुकानों में से दुकान नं० 1, 3, 4 की नीलामी टेण्डर प्रक्रिया के अनुसार करा दी गयी है, सम्बन्धी प्रकरण परिषद समक्ष स्वीकृतार्थ एवं अवशेष 2 दुकानों की नीलामी बाद में करायी जायेगी, परिषद स्वीकृतार्थ।	स्वीकार।

21.7.93

प्रस्ताव	निर्णय
12. आख्या राजस्व प्रभारी बाबत प्रधान डाकघर के मुख्य गेट के समक्ष 06 डिसमिल जमीन पट्टे पर पूर्व में प्रधान डाकघर को दी गयी थी, जिसकी मियाद समाप्त हो जाने के कारण, पुनः निर्धारित एवं उचित प्रीमियम तथा सालाना किराये पर दिये जाने सम्बन्धी प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ। स्वीकृतार्थ।	स्वीकार।
13. आख्या राजस्व प्रभारी बाबत मछली बाजार के तहबाजारी ठेके की नीलामी टेण्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत की गयी है, और उच्चतम बोली 60,100=00 आया है, साथ ही मछली बाजार को नये पुल के पास स्थानान्तरित करने सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
14. प्रस्ताव बाबत इन्दिरा मार्केट स्थित नवनिर्मित दुकानों के प्रथम तल जो तत्कालीन जिलाधिकारी / प्रशासक महोदय के आदेश दिनांक 7.5.83	स्वीकार।

21.7.93

प्रस्ताव	निर्णय :-
दुकानें दुकानदारों के खर्च से निर्मित करा दी जाय, इसी बीच भूमितल के किरायेदारों द्वारा प्रीमियम की सम्पूर्ण धनराशि जमा किये बिना ऊपरी तल की दुकानों पर कब्जा कर लिया गया, जिसकी लागत उस समय प्रत्येक दुकान की रु 38,740=00 आयी थी, जिसे वसूलने की प्रक्रिया में, दुकानदारों को नोटिस दी गयी, परन्तु प्रीमियम की धनराशि प्राप्त न होने की दशा में वजरिये तहसीलदार रिकवरी नोटिस जारी कराये गये, फिर भी 21 दुकानदारों द्वारा सम्पूर्ण धनराशि जमा नहीं की गयी, और दुकान नं. 36 के आवंटी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से दिनांक 27.5.92 को तहसील स्तर जारी रिकवरी नोटिसों के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, और इस कारण वसूली प्रायः स्थगित हो गयी, यद्यपि वाद निस्तारण की प्रक्रिया में जवाबदेही लगायी जा चुकी है. इसी बीच दुकानदारों द्वारा मुकदमा न लड़ने एवं सुलह करने सम्बन्धी आवेदनपत्र पर	

21.7.93

निर्णय

प्रस्ताव

निर्धारण करते हुये, बकाये धन की वसूली की प्रक्रिया में प्रीमियम की धनराशि पर 15% की छूट दिये जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु और यह रिबेट यानी छूट 31.7.93 तक जमा करने वाले दुकानदारों को ही सुलभ होगी, सदन के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

15. आख्या अधिशासी अधिकारी दिनांक 22-6-93 कि पालिका के मान्य सभासदों द्वारा नगर स्थित सड़कों के नामकरण हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होते रहते हैं, अतः जनहित में सड़कों के नामकरण कार्य हेतु एक कमेटी गठित कर दी जाय जिसमें नामकरण प्रकरण यथोचित निर्णय लिये जाने की कार्यवाही की जाया करेगी, साथ ही नामकरण सम्बन्धी पत्थर आदि लगवाये जाने का व्यय भार आवेदनकर्ता वहन करेंगे तथा नामकरण का प्रस्ताव बोर्ड की बैठकों में अनुमोदन हेतु रखा जाया करेगा, परिषद स्वीकृतार्थ।

स्वीकार। इस पर यह भी निर्णय लिया गया क्षेत्रीय सभासद अध्यक्ष, व अधिशासी अधिकारी की एक कमेटी गठित की जाय, जिसमें अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड कमेटी के अध्यक्ष तथा क्षेत्रीय सभासद व अधिशासी अधिकारी उस कमेटी के सदस्य रहेंगे।

21.7.93

	प्रस्ताव	निर्णय
16	प्रस्ताव श्री गणेशनारायणवाल, माननीय सभासद, जिनका समर्थन श्री बाबूलाल गुप्ता, श्री दयाशंकर आदि अन्य सभासदों ने किया, कि जौनपुर नगर में लाटरी का बाजार, इतनी तीव्र गति से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, कि नगर के हर वर्ग के लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं, और उनका भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है, जो जनहित में लाटरी की बिक्री पर रोक लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय के साथ कि शासन को इस सम्बन्ध में पत्राचार किया जाय, सम्बन्धी प्रकरण परिषद के समक्ष विचारार्थ।	स्वीकार। शासन को पत्र लिखा जाय।
17.	पत्रावलि बाबत जलकल प्रांगण स्थित फिल्टर प्लान्ट नं. 1, 2 व 3 के लिये, मोरंग बालू, व विभिन्न प्रकार के ग्रेवेल्स आदि की व्यवस्था के क्रम में 24,000.00 का व्यय अनुमानित है, बोर्ड के समक्ष टेन्डर आमंत्रित करने हेतु स्वीकृतार्थ।	स्वीकार।

21.7.93

प्रस्ताव	निर्णय
18. प्रस्ताव बाबत सब्जी मंडी परिसर स्थित भगत सिंह न्यू मार्केट की 10 दुकानों के प्रथम तल पर जिला सहकारी बैंक, जौनपुर की नगर शाखा खोलने हेतु बैंक की सुविधानुसार मानचित्र बनवाकर 10.95 मीटर x 6.30 मीटर स्थान देकर उसका निर्माण या तो बैंक स्वयं करेगी, अथवा सिटी बोर्ड द्वारा करायेगी, जिसके लिए धन बैंक ब्याज पर सिटी बोर्ड जौनपुर को उपलब्ध करायेगी, जिसका समायोजन आधा धन किराये से वसूली एवं आधा धन नकद किस्त के रूप में पालिका को जमा करेगी एवं बैंक का किराया पी०डब्लू०डी० ~~शेड्यूल~~ शेड्यूल रेट पर निर्धारित किया जायेगा, प्रकरण परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ।	स्वीकार।
19. प्रस्ताव बाबत जलकल की निष्प्रयोज्य सामग्रियाँ नीलाम करा दी गयी है, जिसे स्टाक से खारिज करने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ तथा नीलामी रु 24,509=50 (चौबीस हजार पाँच सौ नौ तथा पचास पैसे मात्र) प्राप्त हुआ, परिषद समक्ष सूचनार्थ।	स्वीकार।

21.7.93

प्रस्ताव	निर्णय
20. पत्रांक बावत वर्ष 1993-94 में नगर में सामान्य स्वच्छ प्रोत्साहन योजनान्तर्गत निर्मित होने वाले शुष्क शौचालयों को जलप्रवाहित शौचालयों में परिवर्तित करने के लिये उनकी संख्या तथा अनुमानित धनावंटित करने का प्रस्ताव जो 600 यूनिट शौचालयों के लिए है, की अनुमानित लागत, 13,93,000/- है, जिसमें 1/2 ऋण, तथा 1/2 अनुदान स्वरूप होगा, परिषद समक्ष स्वीकृतार्थ।	स्वीकार।
21. वित्त वेतन आयोग अनुभाग-1 शासनादेश-वे० आ०-1-817/10-48 (एम०)-88 दिनांक 9-2.1993 जिसके अन्तर्गत पालिका कर्मचारियों को 1 जनवरी 1993 से निम्न प्रकार संशोधित मंहगाई भत्ते दी जानी स्वीकार की गयी है, परिषद के समक्ष स्वीकार्य व अनुमोदन हेतु	स्वीकार।

वेतन श्रेणी	मंहगाई भत्ते की दर वेतन का प्रतिशत
(1) 3500 रु तक मूल वेतन	92%
(2) 3501 से 6000/- तक मूल वेतन पर	69% परन्तु कम से 3220/- तक
(3) 6000/- से अधिक मूल वेतन पर	59% परन्तु कम से कम 4140/- तक

प्रस्ताव !-

...नी बाबत आवेदनपत्र श्री
...प्रसाद साहू पुत्र श्री जोखू
...ली मो० रानाजगीटोला जौनपुर
...के मोहल्ला रानाजगीटोला
...स्थित म्युनिस्पल भूमि सं०
...ा में से 2.5 डाई फुट
...र्ड के प्रस्ताव संख्या 58 दिनांक
...-6.1947 द्वारा श्री रामनरायन साहू
...पुत्र श्रीजोखू के पक्ष में 30 साल
...लिये पट्टे पर दी गयी थी
...जिसकी मियाद समाप्त हो गयी
..., जिसके पुनः नवीनीकरण
...करण में चूँकि उक्त भूमि
...आपसी बटवारे के अन्तर्गत उनके
...पुत्र श्री बाबूलाल गुप्त के पक्ष
...में मिली है, जिसका प्रयोग
...वे केवल निजी रास्ते के लिये
...करेंगे, अतः आख्या राजस्व प्रभारी
...के पट्टे के नवीनीकरण हेतु
...सलाना किराये में बढ़ोत्तरी
...करके प्रीमियम की धनराशि
...निर्धारित किया जाय, यदि
...समक्ष अनुमोदन हेतु।

निर्णय:-

सर्वसम्मति से स्वीकार।
प्रीमियम की धनराशि
निर्धारित किये जाने हेतु
अध्यक्ष महोदय को अधिकृत
किया गया। परन्तु श्री सत्यप्रकाश
उर्फ मस्ताना जी, इसका प्रबल
विरोध करते हुए कहा कि
मैं अध्यक्ष जी का ध्यान
आकर्षित करना चाहता हूँ कि
न मालूम कितने पट्टे पूर्व में
किये गये थे, उनमें से कितनों
का नवीनीकरण हुआ, एकाएक
यह प्रस्ताव एक विशेष व्यक्ति
का आया है, इसलिये मैं इस
प्रस्ताव पर चर्चा अवश्य कर
रहा हूँ। इस सम्बन्ध में जिन
व्यक्तियों के आवेदनपत्र नहीं
आये हों, उन्हें इस हेतु नोटिस
दी जाय, यदि आप उचित हो
तो इसे पुनः समाचार पत्र के
माध्यम से प्रचार प्रसार करा
दिया जाय, और नवीनीकरण
हेतु प्राप्त आवेदनपत्रों को
एक साथ बोर्ड में रखकर
पारित कराया जाय, ताकि जनता
को राहत हो, चूँकि श्री बाबूलाल
जी मेरे मान्य सभासद हैं इस
लिए मैं भी इस प्रस्ताव का
समर्थन करता हूँ, किन्तु
अन्य लोगों को भी सूचना

21.7.93

	प्रस्ताव।-	निर्णय।
		देखा उनके भी प्रस्ताव बोर्ड में लाये जाय जिससे सामाजिक हित की बात हो सके।
23.	नैमित्तिक ~~[illegible]~~ कमेटियों के सभापतियों का चुनाव	इस प्रकरण पर श्री आगा रजा उर्फ मझला जी ने कहा कि यह प्रस्ताव इस रजिस्टर की क्रम संख्या क्रमांक 1 पर होना चाहिये था, अन्य सभासदों की भी आम सहमति पायी गयी कि इसे अगली बैठक में रखा जाय।
24.	सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1993-94 के आय-व्यय के माह अप्रैल 1993 का मासिक आय-व्ययक लेखा पत्रावली अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
25.	सिटी बोर्ड जौनपुर के वित्तीय वर्ष 1993-94 के आय-व्यय के माह मई 1993 का मासिक आय-व्यय लेखा पत्रावली अवलोकन व अनुमोदन हेतु।	स्वीकार।
26.	अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से।-	

निर्णय. —

प्रस्ताव

...वेदनपत्र वाजिदगान मो० — स्वीकार।
...क़ाज़ी नो व मो० जलीशाह प्रधान
...तारापुर कि उनके मुहल्लों
...जोगापुर में निर्मित नवनिर्मित मकानों
... [illegible] जिनकी सिटी बोर्ड जौनपुर द्वारा
...सिटी [illegible] दिया गया है,
...निवासियों का [illegible]
...जिनके अनुसार व गृहकर
...जलकर आदि जमा कर रहे हैं
...मार्ग तारापुर को जाने वाली
...सड़क कच्ची होने के कारण
...नागरिकों का आवागमन बाधित
...है, [illegible] ही वह मार्ग सिटी-
...बोर्ड में सम्मिलित नहीं किया
...गया है. को सिटी बोर्ड की
...सड़क में सम्मिलित करते
...हुए, सड़क व नाली का
...निर्माण कराया जाय, समिति
...प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हो।

प्रस्ताव श्री हाजी मो० सलीम, मान्य सभासद, — स्वीकार।
...जिसका समर्थन श्री अनवर जा उर्फ
...मदद्या जी, श्री सोमनाथ आर्य,
...आदि सभासदों ने किया, बावत
...कोतवाली के सामने चौराहे
...पर बड़ी गाड़ियों को घुमाने
...के लिये बहुत परेशानी होती
...है, क्यों कि वहाँ तांगे व
...रिक्शे वाले खड़े होते हैं,
...इस लिए गाड़ी घुमाने पर
...रास्ता जाम हो जाता है,

21.7.93

प्रस्ताव :-

इस परेशानी के निदान हेतु श्री निश्चलानी रेडियोज, निकट कोतवाली चौराहे के समक्ष, की दुकान से सटकर 12 फुट चौड़ाई में रास्ता, एकला निकलता पार्किंग से अलग कर दिया जाए, 12 फुट के बाद खम्भे व रेलिंग लगाकर 12 फुट का रास्ता अलग कर दिया जाए, जिससे वाहनों के आवागमन में बाधा नहीं होगी, समस्त जनहित का प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु

निर्णय :-

अन्य विषय अध्यक्ष की स्वीकृति से :-

28. पैरोकार की रिपोर्ट से सूचना प्राप्त हुयी है कि निलम्बित कर्मचारी श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव कोई ऐसे हस्तक्षेप [illegible] आरोपित किया जाता है [illegible] के निलम्बन आदेश में सम्भवतः कोई हस्तक्षेप अध्यक्ष के अधिकार [illegible] करते हुए आदेश हुआ है, जिसकी कोई [illegible] है कि उचित आदेश [illegible] साधिकारिक सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, उसे निरस्त करते [illegible] परिषद के समक्ष उचित आदेशार्थ।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी,
सिविल बोर्ड जौनपुर
21.7.93

सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिविल बोर्ड
जौनपुर
21.7.93

लेखक :- महेशनारायण
परिषद लिपिक / कार्यालय अधीक्षक,
सिविल बोर्ड जौनपुर
21.7.93

Scanned with OKEN Scanner

विशेष कार्य सामग्री :- 21.7.93

नगर पालिका बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 21.7.93 की विशेष कार्य सामग्री (एजेन्डा)

प्रस्ताव बावत वर्ष 1993-94 की अवधि में करों की वसूली को प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन हेतु बड़े बड़े बकायेदारों के जिम्मे गृहकर, जलकर एवं जलमूल्य को जमा कराने के उद्देश्य से 10% की छूट विगत वर्षों की भाँति, इस वर्ष भी दी जाय, जो 15 अगस्त 1993 से प्रभावी मानी जायेगी, परिषद समक्ष स्वीकृतार्थ। — स्वीकार। अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

प्रस्ताव बावत जौनपुर विकास में आन्तरिक विकास शुल्क व इन्हान्सिंग चार्जेज में वाह्य विकास ~~शुल्क~~ शुल्क लागू किये जाने सम्बन्धी म्युनिसिपल का विशेष संकल्प परिषद अनुमोदन हेतु। — स्वीकार।

प्रस्ताव बावत पं० दीनदयाल उपाध्याय, मनोरंजन हाल के अपूर्ण कार्य को (यानी विद्युत लगाना, कुर्सी इत्यादि डलवाने सीट लगवाने) 3.00 तीन लाख का व्यय जो पुंजी नीलामी से प्राप्त आय से वहन किया जायेगा, परिषद अनुमोदन हेतु। — स्वीकार। श्री ज्ञानप्रकाश उर्फ भइयाजी नामक सभासद ने कहा कि यह प्रस्ताव अध्यक्ष जी का है, क्या शासन इसे मान लेगी, क्या आप समझते हो कि शासन इसे मान लेगी, इसलिये यदि आप सहमत हो तो इसी पुंजी की आय से एक टेम्पो भी क्रय कर लिया जाय, जो जनहित

विशेष प्रस्ताव 21.7.93

...ताव | निर्णय :-
| में होगा अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है इसको प्रस्ताव आगामी बैठक में लाया जायेगा।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी अधिकारी
सिटी बोर्ड जौनपुर
21.7.93

सीताराम यादव
(सीताराम यादव)
अध्यक्ष,
सिटी बोर्ड जौनपुर
21.7.93

लेखक :- महेशनारायण
परिषद लिपिक / कार्यालय अधीक्षक,
सिटी बोर्ड जौनपुर
21.7.93

4. अन्य विशेष प्रस्ताव अध्यक्ष की स्वीकृति से :-

प्रस्ताव	निर्णय
आवेदन पत्र श्री शम्भुनाथ श्रीवास्तव, भण्डारपाल, दिनांक 5.5.93, जिसे इन्होंने सीधे जिलाधिकारी जौनपुर को भेजा है, जिसमें निवर्तमान अध्यक्ष डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव द्वारा कतिपय आदेश दिनांक 31.3.93 को तिथि में पारित होने का संदर्भ देते हुये, दिनांक 1.7.83 से पक्षाघात रोग से पीड़ित, दि० 27.2.85 से 10.5.87 तक निलंबन अवधि को सेवा-काल मानते हुये, वेतन भुगतान तथा 1.11.88 से 5.2.89 तक व दिनांक 14-6-90 से 8-10-91 की अवधि का अवकाश-वेतन की मांग किये है, जिसकी कोई साक्षिकारिक सूचना उस समय कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराई गयी है, अतः कार्यालय एवं अधिशासी अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 21.7.93 के अनुसार उक्त 31.3.93 का पारित आदेश अवैध व असंवैधानिक है, जो स्वीकार योग्य नहीं है, परिषद के समक्ष विचारार्थ।	बोर्ड ऐसे हस्तक्षेप को अस्वीकार करता है। निवर्तमान अध्यक्ष डा० कृष्णकुमार श्रीवास्तव के आदेश दिनांक 31.3.93 को निरस्त किया जाता है।

लेखक :- महेशनारायण | का०अ०
परि०लि० 21.7.93

अधिशासी अधिकारी

सीताराम यादव
अध्यक्ष, सि० बो०

सिटी बोर्ड जौनपुर की बैठक दिनांक 21.7.93 के लिये प्रस्तुत कार्य सामग्री (एजेन्डा)

...े बाबत नगर में साक्षरता
...यान के अन्तर्गत जनजन — स्वीकार
...साक्षर बनाने के उद्देश्य
...े जिलाधिकारी जौनपुर के
...संख्या 5181 साक्षरता
...नांक 1.3.1993 के क्रम में
...महान कार्य को अधिक
...तों एवं जन सहयोग से
...ना मात्र प्रशासनिक ढंग से
...सम्पादित कर पाना सम्भव
...ही होगा, इसके लिए
...जन सामान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों/
...जनप्रतिनिधियों का पूर्ण
...योग एवं भागीदारी वांछित
...को ध्यान में रखते हुए
...नगर समारोह के संरक्षण में
...आयोजन समिति बनाई जाय,
...सिद्ध सदस्य रूपनाम व
...कार्य।

...बाबत श्री दुर्गा प्रसाद — इस शर्त के स्वीकार
...विद्यालय, का संग्रहीता, — कि यदि नियमानुसार
...आवेदन पत्र दिनांक 15.5.93 — देय हो तो भुगतान
...का संग्रहीता के मूल पद — किया जाय।
...कार्यरत रहते हुए, उनसे स्वास्थ्य
...भाग में द्वितीय श्रेणी के
...पद का तथा जन
...जैसे महत्वपूर्ण पद
...लिया जाता है, को
...की श्रेणी लिपिक
...वेतन भुगतान किया

पूरक एजेण्डा

21.7.93

प्रस्ताव	निर्णय
जाय, सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद अनुमोदन हेतु।	
3. शासनादेश सं० 272A/9-1-93-503 (सा० स० अनु०)/92 दिनांक 2.3.93 से रुपया 13.60 (तेरह लाख साठ हजार मात्र) का सड़क अनुदान प्राप्त हुआ है, जिसका आहरण 31.3.93 को किया जा चुका है, शासनादेश की शर्तों के अन्तर्गत सिटी-बोर्ड जौनपुर को 25% पालिका अंशदान 3,40,000-00 मिलाना होगा, इस प्रकार वर्ष 1993-94 में सड़कों के रखरखाव हेतु रुपया 17.00 लाख (सत्रह लाख) व्यय किया जाना है। इस अनुदान को व्यय करने में आगणित 4,25,000/- के व्यय अनुमान जिलाधिकारी महोदय के स्वीकृतार्थ भेजे जा चुके हैं, इनमें शकरमंडी एवं बदलापुर पड़ाव पर गहरी नाली के निर्माण के प्रस्ताव क्रमशः 2,00,855-40 व 2,24,276-00 बनाये जा चुके हैं, प्रस्ताव में इस प्रकार का सुझाव है कि प्रत्येक सदस्य के वार्ड में 20-20 बीस-बीस हजार के कार्य प्रत्येक सभासद की संस्तुति पर कराये जाय, जो 30 सभासदों	स्वीकार। सभासदों की इच्छानुसार कार्य पूर्ण कराया जाय, सभासदों को उनके कार्य के हेतु 20-20 हजार के स्थान पर 30-30 हजार का कार्य दिया जाना सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

पूरक प्रस्ताव सं० 3 दिनांक 21.7.93

[illegible] देश संख्या 272 ए/9-1-93-503 (प्रा०स०अनु०)/92 दिनांक 2.3.1993 में प्राप्त सड़क अनुदान रुपया 13.60,000=00 से कराये जाने वाले कार्यों की सूची

कार्य का नाम	लम्बाई	धनराशि
[illegible] खासनपुर में श्री प्रभू मौर्य के मकान से भारती [illegible] मन्दिर के बगल में पुलिया तक नाली निर्माण।	97.50 मी०	रु० 21,806=26
[illegible] मदरवा में दाऊ जी मन्दिर रोड पर श्री सुशील [illegible] के मकान से श्री बच्चन सिंह के मकान तक नाली [illegible] साईड वाल का निर्माण।	256 मी०	रु० 20,556=56
[illegible] ब्वाजगी टोला में श्री जगदीश के दुकान के पास [illegible] एवं क्रासिंग का निर्माण।	20 मी०	रु० 13,457=43
[illegible] ब्वाजगी टोला में श्री राजेन्द्र के मकान से श्री [illegible] के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	56 मी०	रु० 19,916=26
[illegible] ब्वाजगी टोला में श्री अशोक कुमार के मकान के [illegible] साईड वाल का निर्माण।	7 मी०	रु० 1116=49
[illegible] मो० कूई में श्री राजाराम के मकान से पुलिया तक नाली निर्माण।	80 मी०	रु० 14,289=34
मो० कूई में नवीन विद्या मन्दिर से सड़क तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	24 मी०	रु० 10,604=52
मो० [illegible] में श्री मोती लाल के मकान से पोल नं० 48 तक फर्श एवं नाली निर्माण।	19 मी०	रु० 5,598=00
मो० कूई में श्री रज्जाद चाय वाले के मकान के पास क्रासिंग निर्माण।	4 मी०	रु० 2,546=13
मो० कूई में श्री मो० जमाल खाँ के मकान के पास क्रासिंग निर्माण।	5 मी०	रु० 3,469=70
मो० कूई में श्री छोटे लाल के मकान से श्री गोपाल के मकान तक सोलिंग निर्माण।	15 मी०	रु० 2,346=72
मो० कूई श्री शब्बीर के मकान से श्री कलाम के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	20 मी०	रु० 6,269=48
मो० अर्जन में श्री चुन्नू के मकान से श्री कन्हैया लाल के मकान तक साईड वाल एवं क्रासिंग निर्माण।	122 मी०	रु० 17,894=61
मो० अदीन में श्री सिद्दीक के मकान से श्री मुख्तार के मकान तक सोलिंग निर्माण।	55 मी०	रु० 37,443=80
मो० रसूलाबाद में श्री अदालती साव के मकान के पास क्रासिंग की साईडवाल निर्माण।	24 मी०	रु० 10,464=3
मो० रसूलाबाद में श्री फूल चन्द के मकान से श्री सतीश के मकान तक नाली निर्माण।	45 मी०	रु० 6,950=[illegible]
7. मो० ईशापुर में छाडू कोल्ड स्टोरेज के सामने सड़क ऊँची करना।	150 मी०	रु० 28,096

%. - 2 -

...नाबाद में हरिजन बस्ती से हनुमान जी मन्दिर
...सोलिंग निर्माण। 30 मी. रु० 9,310=34
...गांडल में श्री अजय यादव के मकान से श्री
...यादव के मकान होते हुए हरिजन बस्ती तक
...निर्माण। 155 मी. रु० 20,529=09
...रोड से हनुमान मन्दिर तक सड़क निर्माण। 115 मी. रु० 69,520=45
...पुर में श्री कन्हैयालाल चौनका के मकान से
...लाल के मकान तक नाली निर्माण। 60 मी. रु० 12,211=41
...सुल्तानपुर में श्री गया प्रसाद के मकान से चौकिया
रोड तक फर्श निर्माण। 60 मी. रु० 11,256=00
मो० शाहबुद्दीनपुर में श्री गरीबुल्ला के मकान से
श्री ... के मकान तक फर्श एवं नाली निर्माण। 66 मी. रु० 10,941=10
मो० शिवाजी नगर में श्री जगदीश के मकान के पास
पुलिया निर्माण। 46 मी. रु० 20,386=09
मो० दालगर टोला में श्री जलालुद्दीन के मकान से
आजमगढ़ रोड तक सोलिंग एवं नाली निर्माण। 123 मी. रु० 25,027=61
मो० दालगर टोला में श्री प्यारे मिस्त्री के मकान से श्री
महबूब साहब के मकान तक सोलिंग निर्माण। 33 मी. रु० 4,990=11
मो० दालगर टोला में श्री राजेन्द्र हरि के मकान के
सामने फर्श निर्माण। 10 मी. रु० 1,863=02
मो० दालगर टोला में श्री ओम प्रकाश के मकान से
मन्दिर तक नाली निर्माण। 55 मी. रु० 9,594=85
मो० दालगर टोला में श्री रशीद ड्राइवर के मकान से
श्री अल्लू ड्राइवर के मकान तक सोलिंग निर्माण। 29 मी. रु० 5,652=22
मो० अहियापुर में टाउन एरिया कार्यालय होते हुए
चमारी बीर बाबा तक सड़क निर्माण। 375 मी. रु० 1,11,542=
31- आजमगढ़ रोड से श्री मो० सलीम के मकान तक
सड़क निर्माण। 160 मी. रु० 50,898=42
32- मो० मीरमस्त में श्री हाजी साहब के मकान के पास
से रोड तक सोलिंग एवं नाली निर्माण। 30 मी. रु० 14,727=87
33- मो० मीरमस्त में श्री मसूद अहमद के मकान से
श्री गफूर के मकान तक फर्श एवं नाली निर्माण। 60 मी. रु० 19,308=00
34- मो० वाजिदपुर ~~दाखीनी~~ में श्री राजाराम के मकान
से बाहुबान के मकान तक सोलिंग एवं नाली नि०। 46 मी. रु० 13,042=00
35- मो० वाजिदपुर दखीनी में श्री हरियाराम के मकान
से श्री अशोक कुमार के मकान तक सोलिंग एवं
नाली निर्माण। 42 मी. रु० 18,087=00
36- मो० डहैना बाद लाइन बाजार में श्री शिवालरी के
मकान से श्रीराम के मकान तक सोलिंग एवं
नाली निर्माण। 135 मी. रु० 24,17[illegible]

[illegible] में श्री राम नरेश के मकान से [illegible] तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	75 मी०	रु० 15,281=00
[illegible] के मकान से [illegible] तक नाली निर्माण।	40 मी०	रु० 13,833=00
[illegible] से श्री [illegible] के मकान के पास [illegible] तक नाली निर्माण।	15 मी०	रु० 5,486=00
[illegible] के सामने पटरी पर सोलिंग एवं नाली नि०	60 मी०	रु० 13,015=00
[illegible] में उमीदार बाटरी के पास श्री [illegible] के मकान से [illegible] तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	65 मी०	रु० 21,400=00
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से श्री [illegible] तक सोलिंग निर्माण।	60 मी०	रु० 10,923=75
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से श्री [illegible] के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	80 मी०	रु० 24,583=00
[illegible] से नेशनल हाईवे से [illegible] तक पक्की नाली एवं [illegible] नाली निर्माण।	105 मी०	रु० 36,549=30
[illegible] चौराहे से [illegible] तक [illegible] निर्माण।	120 मी०	रु० 64,814=88
[illegible] में श्री एस० के० [illegible] के मकान से [illegible] सोलिंग एवं नाली निर्माण।	90 मी०	रु० 40,855=30
[illegible] मोहल्ला में मि० जी सुमीर के मकान से [illegible] मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	150 मी०	रु० 57,578=00
[illegible] में [illegible] चित्रसारी रोड पर [illegible] चित्रसारी रोड तक सोलिंग नि०	315 मी०	रु० 64,344=68
[illegible] नई कालोनी में श्री [illegible] के मकान के [illegible] में तथा श्री जसवन्त के मकान से श्री सुरेन्द्र [illegible] के मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	250 मी०	रु० 1,22,683=20
[illegible] पड़ाव पुलिया पर आर० सी० सी० डालना।	10 मी०	रु० 8,468=50
[illegible] मुख्य मार्ग से स्टेट बैंक के बगल से लाइन [illegible] पक्के चौबरे को जोड़ने वाले मार्ग पर सोलिंग एवं नाली निर्माण।	150 मी०	रु० 61,813=80
[illegible] पड़ाव पक्की सड़क से बी० के० एकेडमी कान्वेन्ट [illegible] तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	40 मी०	रु० 14,650=00
[illegible] में श्री [illegible] के मकान से [illegible] रोड तक नाली निर्माण।	50 मी०	रु० 14,027=00
[illegible] नवाबगंज में पुलिस चौकी से [illegible] की दुकान तक नाली निर्माण।	100 मी०	रु० 32,003=60
[illegible] तिराहे से चुंगी तक पटरी की सोलिंग नि०	90 मी०	रु० 43,773=75
[illegible] पड़ाव पर ईदगाह के दाहिनी गेट एवं [illegible] गेट के रास्ते पर सोलिंग निर्माण।	37 मी०	रु० 11,493=60
[illegible] से श्री [illegible] के [illegible] होते हुए हिन्दी भवन तक पटरी निर्माण।	90 मी०	रु० 36,76[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

...चौकठे शराब की दुकान तक दोनों तरफ की ... मरम्मत।	120 मी॰	रु॰46,879=51
...॰ आबादलाल रोड पर श्री रामजी सिंह के मकान ...या तक नाली निर्माण।	80 मी॰	रु॰21,088=00
...॰ आबादलाल ह्वाईट हाउस रोड पर सोलिंग निर्माण।	40 मी॰	रु॰9,710=00
...मार्ग में डा॰ डी॰ डी॰ सिंह चिकित्साधिकारी के ...की गली में सड़क तक सोलिंग का निर्माण।	71 मी॰	रु॰16,621=00
...हथियार चौराहे से श्री नरायन सिंह के मकान तक सोलिंग ... नाली निर्माण।	30 मी॰	रु॰6,336=00
...पुर में शाहगंज रोड पर मस्जिद से श्री जमींदार ...के मकान तक सोलिंग निर्माण।	200 मी॰	रु॰34,110=00
...॰ ख्वाजा दोस्त में रामाचीत मन्दिर रोड पर श्री मेंहदी ...के मकान से श्री नन्द लाल के मकान तक नाली नि॰	175 मी॰	रु॰36,141=90
...॰ मखदूम शाहअढ़न में श्री तिवारी के मकान से श्री राधे ...मकान तक सोलिंग एवं नाली निर्माण।	155 मी॰	रु॰52,768=41
...नपुर तिराहा क्वारिज से राजा साहब पोखरे तक सोलिंग निर्माण।	315 मी॰	रु॰74,639=71
...पदरीबा चौराहे से मीरपुर तक 150 मीटर सड़क निर्माण।	150 मी॰	रु॰91,294=40
...टी॰ डी॰ कालेज पक्की रोड से पोंचे तथा पोंचे ...पक्की सड़क तक सड़क निर्माण।	170 मी॰	रु॰74,289=00
	योग रुपया	17,43,151=15

20/7/93

नगर अभियन्ता
पिटी बोर्ड जौनपुर
नगर अभियन्ता
पिटी बोर्ड, जौनपुर

अधिशासी अधिकारी
पिटी बोर्ड, जौनपुर
अधिशासी अधिकारी
पिटी बोर्ड, जौनपुर

अध्यक्ष
पिटी बोर्ड, जौनपुर

का 20-20 वोल्ट हलोजन की दर से
का 6,00,000 रु० छः लाख व्यय होगा।
इस प्रकार 6,25,000/- शेष रहेगा,
इस धन से नगर क्षेत्र की
अत्याधिक [illegible] मगाये
के प्रस्ताव, व्यय अनुमान सहित
तैयार किया जायेगा, जिसके
लिए अध्यक्ष, सिटी-बोर्ड जौनपुर
अधिकृत किया जाय, प्रस्ताव
परिषद समक्ष अनुमोदन हेतु।

4. पत्रावलि बाबत मो० हसन्ना उमापुर — स्वीकार।
में नई कालोनी के अन्तर्गत
श्री रमाशंकर के मकान के
बगल में तथा श्री जसवन्त
के मकान से श्री जितेन्द्र राय
के मकान तक सोलिंग निर्माण
हेतु व्यय अनुमान रु० 1,22,684-00
परिषद अनुमोदन हेतु।

5. पत्रावलि बाबत मछली मार्केट
की दुकान के निर्माण हेतु आये — स्वीकार।
हुए टेंडरों में न्यूनतम टेन्डर
श्री सत्यप्रकाश ठीकेदार, का
3,33,160=09 पैसे का जो
अनुमानित लागत से 0.2% कम
है, साथ ही उक्त मछली मार्केट
नये पुल के पास निर्मित कराये
जाने सम्बन्धी प्रस्ताव, परिषद
अनुमोदन हेतु, जो बोर्ड की
बैठक दिनांक 29.12.92 के

पूरक प्रस्ताव

21.7.93

प्रस्ताव:	निर्णय:
के विशेष पूरक प्रस्ताव सं. 7 द्वारा पारित हो चुका है, के भूतल पर मछली मार्केट तथा ऊपरी तल पर दुकानों का निर्माण होगा, परिषद स्वीकृतार्थ।	
6 आख्या राजस्व प्रभारी दिनांक 28.6.93 बाबत श्रीमंत सिंह न्यू मार्केट स्थित सब्जी मंडी, दुकानों की नीलामी टेन्डर प्रक्रिया के अन्तर्गत 16.1.93 को कराई गयी, जिसमें दुकान नं. 1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को 50,200/- में दुकान नं 2 पालिका कर्मचारी को 48,200/- में नीलाम की गयी, परिषद स्वीकृतार्थ।	स्वीकार।
7. पत्रादि बाबत ठिकाई चौराहे से होते हुए नये पुल को पार करते हुए जो तीन चौराहे तक जाने वाले मार्ग का नामकरण [illegible] के वरिष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह मार्ग रखा जाय, परिषद अनुमोदन हेतु।	स्वीकार। चूँकि यह मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का है, इसलिये अधिशासी अधिकारी को इसी अनुमोदन हेतु लिखा जाय।

[illegible]

श्री वीरेन्द्र प्रताप यादव, माननीय सभासद ने कहा कि जोगियापुर में निषाद घाट तक सोलिंग निर्माण का प्रस्ताव था, लेकिन सोलिंग नहीं लगी, उस पर सोलिंग लगवायी जाय।

अन्त में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह, माननीय सभासद ने कहा कि उनके उमरपुर स्थित मकान के पास सोलिंग नहीं है, जिसे लगवाने हेतु कई वर्ष उन्होंने कहा, परन्तु अभी तक नहीं लगा। इस पर अध्यक्ष महोदय ने बताया कि यह कार्य एजेण्डा में सम्मिलित है। अधिशासी-अधिकारी ने बताया कि उक्त सड़क पहले बोर्ड को स्थानान्तरित तो हो, जाँच करके उस पर आगे की कार्यवाही की जायेगी। अधिशासी-अधिकारी ने यह भी बताया कि टी०डी० कालेज जौनपुर की सड़क जो कालेज से होते हुए बाजिदपुर की ओर जाती है जो बोर्ड की थी, उनमें दो सम्पर्क मार्ग, जो मुख्य मार्ग को मिलाती है, टी०डी० कालेज प्रबंध कारिणी समिति के अध्यक्ष माननीय श्री उमानाथ सिंह के पत्र दिनांक 15.7.93 के बावत उक्त सड़क सिटी-बोर्ड जौनपुर को स्थानान्तरित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसका सम्पूर्ण (कर) धनराशि भी दिये जाने का भी प्रबंधक महोदय ने आश्वासन दिया। जिस पर यह निश्चित पाया कि कालेज के ऊपर सम्पूर्ण कर की अदायगी के पश्चात ही सड़क को स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही की जाय।

(सत्यप्रकाश पाण्डेय)
अधिशासी-अधिकारी,
सिटी-बोर्ड जौनपुर
21.7.93

(सीताराम यादव)
अध्यक्ष
सिटी-बोर्ड जौनपुर
21.7.93

लेखक — महेशनारायण,
परिषद लिपिक/ कार्यालय अधीक्षक,
सिटी-बोर्ड जौनपुर